सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 319 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०)
20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 फरवरी, 2017

कृपया पढ़े:-

1. राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक-4064, दिनांक 6 जुलाई, 2013
2. उपायुक्त, जामताड़ा का पत्रांक-993/वि०, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-7238, दिनांक 8 अगस्त, 2013, संकल्प संख्या-10055, दिनांक 18 अक्टूबर, 2013, पत्रांक-8404, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 एवं पत्रांक-8313, दिनांक 26 सितम्बर, 2016
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-223, दिनांक 27 मई, 2015

संख्या-5/आरोप-1-699/2014 का.-1432-- श्री श्रीमत सोरेन, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-600/03, गृह जिला- गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित, जामताड़ा के

विरूद्ध राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-4064, दिनांक 6 जुलाई, 2013 के माध्यम से उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-993/वि०, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सोरेन के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- मनरेगा अन्तर्गत दिनांक 25 मई, 2008 को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त चार योजनाएँ क्रमशः योजना संख्या-01/08-09, 15/08-09, 16/08-09 एवं 19/08-09 वैसी याजनाएँ है, जो फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत आनेवाली पंचायतों में स्वीकृत की गयी थी, जिनमें विगत लगभग दो वर्षों से काम बंद था । इस बीच वर्ष 2011-12 में फतेहपुर प्रखण्ड में मनरेगा का कार्य एवं एम०आई०एस० इंट्री पूर्ण रूप से प्रारंभ होने के बावजूद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा उक्त योजनाओं के अभिलेख को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर को हस्तांतरित न करते हुए अपने स्तर से ही वर्ष 2012 में बिना किसी पुनरीक्षण तथा तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारंभ किया गया । इन संचालित योजनाओं में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा कुल 7.076 लाख रू० की राशि अग्रिम के रूप में पंचायत सचिव को दिया गया, जो कुण्डहित प्रखण्ड के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इतनी पुरानी योजना पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व किसी भी प्रकार का तकनीकी प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा नहीं लिया गया एवं दूसरे प्रखण्ड की बंद योजना का कार्य करना अपने आप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है तथा यह प्रमाणित करता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने गलत मंशा से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ।

आरोप सं०-2- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा मनरेग के आकस्मिकता मद से दिनांक 17 जून, 2011 को एक जेनरेटर क्रय किया गया । पुनः दिनांक 29 मार्च, 2012 को दो जेनरेटर क्रय किया गया जिसका कोई औचित्य ही नहीं है । इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक जातीय गणना हेतु मनरेगा के आकस्मिकता मद से 2.50 लाख रूपये का सामग्री क्रय किया गया ।

आरोप सं०-3- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा प्रतिमाह 500 की दर से कुल आठ माह का मनरेगा की आकस्मिकता मद से 4000 रूपये की राशि टेलीफोन के लिए बिना भाउचर लिए व्यय किया जाना Misappropriation की श्रेणी में आता है ।

आरोप सं०-4- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित द्वारा प्रयुक्त वाहन में इंधन की मात्रा प्रत्येक माह 275-500 लीटर है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉग बुक में क्षेत्रभ्रमण दर्शाया गया है, परन्तु क्षेत्रभ्रमण कहाँ-कहाँ तथा किस प्रयोजन से किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है ।

आरोप सं०-5- प्रखण्ड कार्यालय कुण्डहित में व्यवहार के लिए क्रय की गयी सामग्री जिला से निर्धारित दर होने के बावजूद गुप्ता फर्नीचर, पोड़ैयाहाट से सामग्री क्रय करना संदेह तथा अनियमितता को दर्शाता है । सामग्री का दर भी जिला द्वारा निर्धारित दस से अधिक । एक ही बार में गुप्ता फर्नीचर, पोड़याहाट को तीन लाख का अग्रिम दिया जाना तथा उसके भाउचर को सामंजित किया जाना गलत मंशा को दर्शाता है । साथ ही भंडार पंजी उपलब्ध नहीं रहने के कारण सामग्री के क्रय पर संदेह उत्पन्न होता है । इनके वस्तु क्रय व्यवस्था को देखने से यह प्रतीत होता है कि सामान्य रोकड़ बही से काफी राशि का व्यय आकस्मिकता में किया गया है, इसमें डयूपलीकेशी की संभावाना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है । स्पष्ट है इनके द्वारा वित्तीय नियमों की अनदेखी की गयी है ।

इन आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-7238, दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा श्री सोरेन से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । फलतः इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-10055, दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-223, दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा श्री सोरेन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री श्रीमत सोरेन के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् हैः-

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- (क) आरोपी पदाधिकारी का यह स्वीकार करना कि उनके द्वारा अज्ञानतावश फतेहपुर प्रखण्ड की योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया था । किसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार का पता न होना उसकी कार्यक्षमता को संदिग्ध बना देता है । (ख) आरोपी पदाधिकारी को योजना स्थल के भ्रमण के बाद उक्त योजनाओं के अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर को स्थान्तरित कर वहाँ के ग्रामीणों के भावना से अवगत करा देना था । ऐसा न कर तीन वर्ष पुरानी मिट्टी के कच्चे कार्य में बिना किसी पुनरीक्षित प्रशासनिक अथवा तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारंभ कर देना स्पष्टतः मनरेगा के निर्धारित नियमों के विरूद्ध तथा सरकारी धन राशि दुरूपयोग/दुर्विनियोग को प्रोत्साहित करने का कार्य था । (ग) आरोपी पदाधिकारी का यह दावा कि नव सृजित प्रखण्ड फतेहपुर को पुरानी योजनाओं को हस्तांतरित करने हेतु पूर्व से इसी प्रकार का निदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं था । स्वीकार नहीं हो सकता है, कारण कि नये प्रखण्ड के सृजन से आरोपी पदाधिकारी उस क्षेत्र के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नहीं रह गये थे । योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से चालू करने से पूर्व उन्हें सक्षम पदाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर लेना विधिसम्मत

था, क्योंकि कार्य क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकारी से बाहर था, पर ऐसा न कर अपने स्तर से निर्णय लेकर क्षेत्राधिकार से बाहर की योजनाओं में सरकारी धन राशि का भुगतान किया जाना निश्चित् रूप से संदिग्ध आचारण था । (घ) आरोपी पदाधिकारी द्वारा कुल 6,07,600/- रूपये (5,50,000/-रूपये सामग्री +57,000/- रूपये मजदूरी मद में) की राशि अग्रिम के रूप में पंचायत सचिव को दी गयी थी, जिसमें 5,50,000/- रूपये अभिकर्त्ता से वापस कर ली गयी । 57,600/- रूपये मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से अंतरित कर दिये गये बताये गये हैं, पर जब कार्य हुआ ही नहीं तो मजदूरी का भुगतान कैसा? यह अनुत्तरित प्रश्न है । साथ ही अग्रिम ली गयी राशि 10 माह बाद वापस की गयी, जिस पर अर्जित ब्याज की वसूली नहीं की गयी । उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी श्रीमत सोरेन द्वारा सभी तथ्यों की जानकारी रहने के बावजूद क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, मनरेगा प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए मनरेगा योजनाओं में अभिकर्त्ता को अग्रिम राशि विमुक्त कर फर्जी भुगतान का प्रयास किया गया । इससे स्पष्ट है कि आरोप तथ्य पूर्ण है तथा आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी ने उपायुक्त के मंतव्य पर सहमति प्रकट करते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया है कि बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना सुरक्षा व्यवस्था एवं आधारभूत संरचना की व्यवस्था सुनिश्चित किये हुए एक बड़ी सरकारी धन राशि को व्यय कर जेनरेटर की खरीद की गई, जो वित्त नियमावली के प्रतिकूल है । क्रय में सरकारी प्रयोजन का अभाव, सरकारी धन राशि का व्यक्तिगत उपयोग एवं वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित होते हैं, जिससे आरोपी पदाधिकारी की गलत मंशा स्पष्ट होती है । केवल अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए आरोपी पदाधिकारी द्वारा सारी कहानियाँ रची गयी है । अनियमित क्रय के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर सिर्फ एक ही तर्क दिया गया कि सरकारी निदेश के आलोक में सामग्री क्रय किये गये थे । अतः अनियमित क्रय के आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी ने श्री सोरेन द्वारा मनरेगा की आकस्मिकता मद से लिये गये 4000/- रूपये जिसका भाउचर समर्पित नहीं किया गया है, को सरकारी धन राशि का दुर्विनियोग बताया है । आदेश को स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया है कि मोबाईल कूपन के क्रय हेतु उक्त राशि का प्रावधान किया गया था । यह कोई मोबाईल अथवा टेलिफोन भत्ता नहीं था, जो प्रति माह भुगतान पंजी पर हस्ताक्षर कर प्राप्त कर लिया जाता । यह तो आकस्मिकता मद से अभिश्रव के विरूद्ध भुगतान होता । आरोपी पदाधिकारी द्वारा मनरेगा रोकड़ से बिना अभिश्रव के नकद भुगतान प्राप्त करना वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री सोरेन द्वारा लॉग बुक में दर्शाया गया क्षेत्र भ्रमण स्पष्ट नहीं है कि क्षेत्र भ्रमण कहाँ-कहाँ तथा किस प्रयोजन से किया गया है। उन्होंने बताया है कि श्री सोरेन द्वारा समर्पित लाॅगबुक की प्रविष्टियाँ अस्पष्ट व अधूरी थी । वाहन के लॉग बुक में भ्रमण का विशिष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया था । जैसे कहाँ से कहाँ, किस प्रयोजन से यात्रा की गयी आदि । जेनरेटर के लॉग बुक में भी बहुत संक्षिप्त प्रविष्टियाँ की गयी थी। जेनरेटर का उपयोग प्रारंभ होने और बंद किये जाने का कोई समय अंकित नहीं किया गया है, इससे उनका औचित्य ही संदिग्ध प्रतीत होता है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी के कार्य अवधि में प्रखण्ड कार्यालय कुण्डहित में व्यवहार के लिए क्रय की गयी सामग्री जिला से दर निर्धारित होने के बावजूद गुप्ता फर्नीचर, पोड़ैयाहाट से सामग्री क्रय करना संदेह तथा अनियमितता को दर्शाता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष के प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता से सरकारी उपस्करों एवं लेखन सामग्री का क्रय न कर निर्धारित दर को नजरअंदाज करते हुए अपने स्तर से ऊँचे दर पर सामग्रियों की आपूर्ति की गयी है । आरोपी पदाधिकारी द्वारा सामग्रियों के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व जिला नाजारत प्रशाखा अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय से भी सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया गया । इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी ने ऐसी कोई सावधानी नहीं बरतकर सरकारी धन राशि के व्यय में वित्तीय नियमावली में यथा प्रतिविहित observance of common prudence with due care and attention का पालन नहीं किया गया । आरोपी पदाधिकारी द्वारा एक ही बार में गुप्ता फर्नीचर, पोड़ैयाहाट को 3 लाख का अग्रिम दिया गया तथा उसकी प्रविष्टि अग्रिम पंजी में न कर रोकड़ बही में दिनांक 18 जनवरी, 2012 को खर्च दिखाया गया, जो नियम संगत नहीं है। साथ ही, 3 लाख रूपये भुगतान के विरूद्ध प्राप्त सामग्री 2,89,045/- रूपये की ही थी, जो राशि अब तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नहीं लौटायी गयी है । इस प्रकार प्राप्त सामग्री के मूल्य से अधिक का अग्रिम भुगतान करना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है । आरोपी पदाधिकारी द्वारा सामग्रियों की प्रविष्टि भंडार पंजी में भी नहीं की गयी । आरोपी पदाधिकारी ने इन आरोपों पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया है । स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों का पालन विधिवत् नहीं किया गया था। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

श्री सोरेन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सोरेन के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से आजीवन 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-8404, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा

इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । श्री सोरेन के पत्र, दिनांक 22 जून, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

श्री सोरेन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिये गये तथ्यों एवं इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान में दिये गये तथ्यों की तुलना करने पर पाया जाता है कि दोनों जवाबों में इनके द्वारा सामान तथ्यों का उल्लेख किया गया है, कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

समीक्षोपरांत श्री सोरेन के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के परन्तुक-(ग) के तहत प्रस्तावित दण्ड के अधिरोपण किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक-8313, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से परामर्श/सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ने अपने पत्रांक-237, दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा श्री सोरेन के पेंशन से आजीवन 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति प्रदान की गई ।

अतः श्री सोरेन के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से आजीवन 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 319--50